

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल गवालियर केम्प भौपाल मोदी



पंक्ति क्र. 24
20/06/2013

श्रीमती ४ कृष्णा बाई जोगे आनंद वर्मा आयु 56 साल

R. 2439-J/13

निवासी लोहारपुरा बैतूल बाजार बैतूल तहसील व

स्री ५३५४ ३०
पंक्ति क्र. 21
आयु ५१ वर्ष
31/5/2013

निगरानीकर्ता

बनाम

1. अजीत वर्मा पिता स्व. सुंदरलाल वर्मा आयु 45 वर्ष
 Superintendent Narmadapuram निकाली प्रतापपुरा ठिकारी तहसील व जिला बैतूल
 O/o Commissioner Narmadapuram
 Division Hoshangabad (M.P.) पिता
 2. सरोज छह्ति राजकुमार वर्मा
 3. गोदित्य छह्ति ४ पिता राजकुमार वर्मा
 4. अंकिता पिता राजकुमार वर्मा
 5. कामिनी जोगे पिता कृष्ण कुमार

राकिन ठिकारी बैतूल तह. जिला बैतूल ----- उत्तरखादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

दूर्नाक 2355
 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
 दिनांक को प्राप्त
 महोदय नर्मदापुरम संभाग होशांगाबाद के द्व T.R.A. रा.अ.क्र. 73/31/12-13

ललक ऑफ काई 26/6/13
 पारित आदेश दिनांक 25.4.13 से परिवेदित होकर निष्पत्ति
 राजस्व मण्डल गवालियर

तथ्यों स्वं आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

निगरानी के तथ्य

1. वह कि, विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय बैतूल
 के न्यायालयमें नक्शा द्वारा दूर्लक्षणी द्वेष आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें
 वर्तमान ठिकारी बैतूल खारा नंबर 904 के तंबंध में प्रस्तुत कि T. था

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2439-एक/13

जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-8-2018	<p>आवेदिका की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक पक्ष सूचना उपरांत भी अनुपस्थित। आवेदिका की ओर से पिछले कई तिथियों पर कोई उपस्थित नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रकरण के निराकरण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अतः आवेदिका द्वारा प्रकरण के निराकरण में रुचि नहीं लिये जाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> 	